

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 310]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 12 नवम्बर 2025—कार्तिक 21, शक 1947

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2025

क्रमांक एफ-03-47-2008/10-1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भर्ती नियम, 1999 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों, में,-

1. नियम 8 में, उप नियम (3) में,-

(एक) खण्ड (क) में, अंत में, "पूर्ण विराम" के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"परन्तु शारीरिक परीक्षण के परिणाम स्वरूप यदि कोई महिला अभ्यर्थी 12 सप्ताह या उससे अधिक की अवधि की गर्भवती पाई जाती है, तो बच्चे का जन्म होने तक उसे अस्थाई रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा। प्रसूति की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से उपयुक्तता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर, उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु उसका पुनः परीक्षण किया जाएगा।"

(दो) खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(कक) वन रक्षक के पद पर भर्ती के लिए अधिसूचित प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों की संख्या के पांच गुना अभ्यर्थियों को योग्यता के अनुसार शारीरिक माप और पैदल चाल परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा;"।

2. नियम-11 में, उप-नियम (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम जोड़े जाएं, अर्थात्:-

"(8) विभाग में सीधी भर्ती के नियमित पदों के समकक्ष संविदा पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत पद अथवा विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पदों के 50 प्रतिशत तक के पद, दोनों में से जो भी कम हो, संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। इस नियम के अधीन आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेने और नियुक्ति प्राप्त कर लेने (कार्यभार ग्रहण करने) के पश्चात् वह अभ्यर्थी पुनः लाभ का पात्र नहीं होगा। यदि उक्त श्रेणी के पात्र कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं, तो वह पद उसी वर्ग के अन्य अभ्यर्थियों में से भरा जाएगा।

(9) संविदा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संविदा सेवक पात्र होंगे, अर्थात्:-

(एक) आवेदक विभाग में नियमित भर्ती के रिक्त पद के समकक्ष संविदा पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की अवधि के लिए संविदा आधार पर निरंतर नियोजित रहा हो। संविदा पद से नियमित पद की समतुल्यता का निर्धारण राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। 05 वर्ष की यह अवधि रिक्त पद के विरुद्ध आवेदन करने की दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। उसे इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा यह प्रमाण-पत्र, यथास्थिति जिला अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा;

(दो) यदि किसी संविदा कर्मचारी/अधिकारी ने एक ही संविदा पद पर कार्य न करते हुए विभिन्न संविदा पदों पर कार्य किया है तो 05 वर्ष की उपरोक्त अवधि की गणना पूर्ण होने पर वह उस श्रेणी के नियमित पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने में समर्थ होगा, जो राज्य शासन द्वारा नियमित पद के समतुल्यता निर्धारण के पश्चात् 05 वर्ष की अवधि में निम्नतम श्रेणी का रहा हो;

(तीन) यदि किसी संविदा कर्मचारी/अधिकारी को संविदा सेवा से किसी अवधि में हटा दिया गया हो तथा उसे पुनः उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा पर नियुक्त किया गया हो तो 05 वर्ष की अवधि की गणना, सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटा कर की जाएगी;

(चार) किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा पर नियुक्त कर्मचारी/अधिकारी जो नियमित पद हेतु समकक्षता एवं अर्हता रखता हो, वन विभाग द्वारा विज्ञप्त पद पर आवेदन कर सकेगा;

- (पांच) नियमित नियुक्ति की दशा में, संविदा कर्मचारी/अधिकारी को पूर्व की संविदा सेवाओं का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा;
- (छह) संविदा कर्मचारी/अधिकारी के लिए आरक्षित किए गए नियमित पदों पर चयन, भर्ती की पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, इस प्रयोजन हेतु नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम कट ऑफ अंक नियत किये जा सकेंगे।
- (सात) यदि संविदा कर्मचारी अधिकारी एक अथवा एक से अधिक प्रकार के संविदा पदों पर नियुक्त रहा हो तो ऐसी स्थिति में, संविदा पद के जिस समकक्ष नियमित पद पर वह नियुक्ति हेतु आवेदन करता है, उसके बराबर या उच्चतर संविदा पर वह जितने वर्ष कार्यरत रहा, उतने वर्ष की छूट उसे निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में मिलेगी। आयु संबंधी समस्त छूटों को सम्मिलित करते हुए संविदा अधिकारी की अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी;
- (आठ) वे पद जो संविदा कर्मचारी/अधिकारी के लिए समकक्ष नियमित पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षित हैं वे केवल उस स्थिति में अन्य अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे, जिन पदों को भरने के लिए विहित पारदर्शी एवं प्रातस्पर्धात्मक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पर्याप्त संख्या में संविदा कर्मचारी/अधिकारी अंतिम रूप से चयनित अथवा अर्हित नहीं हो पाते हैं। संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये आरक्षित पद रिक्त रहने की दशा में कैरी फारवर्ड नहीं किये जाएंगे;
- (नौ) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नियमित पदों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
- (10) वनरक्षक के पद पर भर्ती हेतु, होमगार्ड स्वयं सेवी सैनिकों हेतु आरक्षित 30 प्रतिशत एवं भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित 10 प्रतिशत पदों पर हारिजन्टल आरक्षण लागू होगा, परन्तु पर्याप्त संख्या में होमगार्ड/भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों की उपलब्धता न होने पर, शेष पदों को रोस्टर अनुसार उसी प्रवर्ग के गैर होमगार्ड/ गैर भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों से भरा जावेगा।
- (11) वनरक्षक के कुल रिक्तियों का 01 प्रतिशत पद राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रहेंगे। उक्त श्रेणी के पात्र अभ्यर्थी ना मिलने पर उसी वर्ग के अन्य अभ्यर्थियों से पद भरा जाएगा।”।

No. F-03-47/2008/10-1::In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Class III (Non-Ministerial) Forest Services Recruitment Rules, 1999, namely:-

,AMENDMENTS

In the said rules,-

1. in rule 8, in sub-rule (3),-
2. in clause (a), at the end, for the full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that as a result of examination if a female candidate is found to be pregnant for a period of 12 weeks or more, she must be declared temporarily unfit till the delivery of the child. She must be re-examined for issue of fitness certificate after six weeks from the date of delivery on production of a fitness certificate from a registered medical practitioner;"

2. after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-

“(aa) for recruitment on the post of Forest Guard, five times the number of candidates, as per the number of vacancies in each category notified shall be called for physical measurement and walking test according to merit;”.

2. In rule 11, after sub-rule (7), the following sub-rules shall be added, namely:-

“(8) 50 percent of the total number of contractual officers/employees who have completed 5 years

continuous service on contractual posts equivalent to regular posts of direct recruitment in the department or upto 50 per cent of the vacant posts of direct recruitment in the department, whichever is less, shall be kept reserved for the appointment of contractual officers/employees. Under this rule, after taking benefit of reservation facility once and after getting appointment (joining), the person shall not be eligible for the benefit again. If eligible employee of the said category is not available, the post shall be filled from other candidates of the same category.

(9) The following contractual servants shall be eligible to get the benefit of contractual reservation, namely:-

- (i) the applicant must have been continuously employed on contractual basis for a minimum period of 5 years on a contractual post equivalent to the vacant post of regular recruitment in the department. The equivalence of a regular post with contractual post shall be determined by the State Government. This period of 5 years should be completed on the date of applying against the vacant post. He shall have to submit a certificate to this effect and this certificate shall be issued by the competent officer of the District or State level, as the case may be;
- (ii) if a contractual employee has worked on different contractual posts without working on the same contractual post, then on completion of calculation of the above mentioned period of 5 years, he shall be able to apply for appointment on a regular post of that category, which shall be the lowest category in the period of 5 years, after determination of equivalence of the regular post by the State Government;
- (iii) if any contractual employee has been removed from the contractual service during any period and is again appointed on contract on the same post or on any other post, then the period of 5 years shall be calculated after reducing the period of isolation;
- (iv) an employee appointed on contract, in any

department who has equivalent qualification for the regular post, may apply for the post advertised by the Forest Department;

(v) in case of regular appointment, the contractual employee/officer shall not be able to get any benefit of previous contractual services;

(vi) selection for the regular posts reserved for contractual employees/officers shall be done through a transparent and competitive process of recruitment, for this purpose minimum cutoff marks may be fixed by the appointing authority;

(vii) if a contractual employee has been appointed on one or more than one type of contractual posts. In such a situation, he shall get relaxation in the maximum age limit for the number of years he has worked on a contractual post equal to or higher than the regular post equivalent to the contractual post for which he applies for appointment. Including all age-related relaxations, the maximum age of a contractual officer shall not exceed 55 years;

(viii) those posts which are reserved for contractual employees for appointment on equivalent regular posts shall be filled by other candidates in the event that sufficient number of contractual employees are not finally selected or qualified after following the prescribed transparent and competitive process for filling the posts. In case the posts reserved for contractual employees remain vacant, it shall not be carried forward;

(ix) in the process of appointment against regular posts, it shall be ensured that the reservation rules for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Economically Weaker Sections are followed.

(10) For recruitment to the post of Forest Guard, horizontal reservation shall be applicable on 30 percent vacancies reserved for Home Guard volunteer soldiers and 10 percent vacancies reserved for Ex-servicemen, but in case of non-availability of sufficient number of Home

Guard/Ex-servicemen candidates, the remaining posts shall be filled up from non-Home Guard/Non-Ex-servicemen candidates of the same category, as per the roster.

(11) One percent of the total vacancies of Forest Guard shall be reserved for national/international outstanding sportsman. If eligible candidates of the said category are not found, the post shall be filled by other candidates of the same category."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश बाथम, अपर सचिव.